प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 57/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा द्वारा "पीएम-वाणी योजना के लिए विनियामक ढांचे" पर दूरसंचार प्रशुल्क (70वां संशोधन) आदेश, 2024 का मसौदा जारी किया है।

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024 —भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने **आज** "पीएम-वाणी योजना हेतु विनियामक ढांचे" पर दूरसंचार प्रशुल्क (70वां संशोधन) आदेश, 2024 का मसौदा जारी किया है।

2. 'कनेक्ट इंडिया' मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 ने एक मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना के निर्माण के उद्देश्य से वर्ष 2022 तक 10 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जाने के लिए सक्षम बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा, भारत 6जी विजन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया 2030 मोबाइल और ब्रॉडबैंड नीति उद्देश्यों के लिए वर्ष 2022 तक 10 मिलियन और वर्ष 2030 तक 50 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तथापि, वर्तमान में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट की संख्याएँ एनडीसीपी, 2018 दस्तावेज़ और भारत 6जी विज़न दस्तावेज़ में परिकल्पित लक्षित संख्याओं से बहुत कम हैं।

3. नवंबर 2022 में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भादूविप्रा को प्रेषित अपने पत्र के माध्यम से कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) से बैकहॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी की अत्यधिक उच्च लागत के कारण पीएम-वाणी योजना का प्रसार काफी सीमित है और लक्ष्य से काफी कम है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग का मत है कि वाणिज्यिक करारों के नाम पर, टीएसपी/आईएसपी अक्सर पीडीओ पर नियमित फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बजाय महंगी इंटरनेट लीज्ड लाइनों (आईएलएल) का उपयोग करके सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को जोड़ने के लिए दबाव डालते हैं।

4. इस मुद्दे का विश्लेषण प्राधिकरण ने किया है और यह जाना कि पीएम-वाणी योजना के प्रसार में तीव्रता लाने के लिए पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की लागत को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। तदनुसार, प्राधिकरण द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि पीएम-वाणी योजना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए प्रशुल्क वही होगा जो रिटेल ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) कनेक्शन के लिए लागू है।

5. संशोधन आदेश का मसौदा भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाल दिया गया है। हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस पर अपनी लिखित टिप्पणियाँ दिनांक 6 सितंबर, 2024 तक भेजें और यदि इस संबंध में कोई प्रति-टिप्पणियाँ हों, तो उन्हें दिनांक 13 सितंबर, 2024 तक श्री अमित शर्मा, सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा को, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-मेल आईडी: fa@trai.gov.in पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अमित शर्मा, सलाहकार (एफ एंड ईए) से टेलीफोन नंबर 011-20907772 पर संपर्क किया जा सकता है।

अमित

(अमित शर्मा)
सलाहकार (एफ एंड ईए)